न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 145/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/207

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
मादाराम पुत्र गमनाराम जाति घांची निवासी खैरवा तहसील व जिला पाली (राज.)		1. जरिये सरपंच ग्राम पंचायत खैरवा जिला पाली 2. सूजाराम पुत्र गमनाराम जाति घांची निवासी खैरवा तहसील व जिला पाली (राज.)

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री पीताराम परिहार।
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल प्रजापत।

–: निर्णय :–

दिनांक : 25/08/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत खैरवा द्वारा मिसल संख्या 18/1980–1981 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 22 दिनांक 03.11.1981 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 सगे भाई है, जिनका ग्राम पंचायत खैरवा में पुश्तैनी भूखण्ड आया हुआ है। अप्रार्थी सरकारी सेवा में कार्यरत था तथा उन्होनें सम्पूर्ण भूखण्ड का अपने पक्ष में पट्टा बना दिया, जबकि मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 के पास 3/4 एवं प्रार्थी के पास 1/4 हिस्सा है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का 20 बाई 50 गज का अलग ही हिस्सा आया हुआ है, जिस पर प्रार्थी ने दुकान मय चौक चार दीवारी का निर्माण करवा रखा है, जिस पर उनका भौतिक कब्जा है तथा उक्त दुकाने किराये दे रखी है, जिसकी किराया चिट्टी भी बनी हुई है। ग्राम पंचायत ने बिना नाप चोक के जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, बिना प्रक्रिया के जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। अतः जैर निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर विधिविरूद्ध तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा वर्ष 1981 में जारी किया है जिसका प्रस्ताव 23.10.1981 को पारित किया गया, जिस पर मिसल संख्या 18 अंकित है। ग्राम में अप्रार्थी के हिस्से में यह भूमि आई, जिस पर अप्रार्थी का कब्जा था तब विधिनुसार उक्त भूमि का अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किया गया। ग्राम पंचायत में पट्टा बुक व मिसल कार्यालय रेकर्ड

अति. जिला कलेक्टर पाली

में उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि पट्टे की मिसल ही नहीं बनी है। प्रार्थी ने 42 वर्ष के पश्चात जैर निगरानी मिसल पेश की है, जो म्याद बाहर होने से भी खारिज योग्य है। प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे वाद हेतुक प्रकट होना प्रतीत होता हो। ग्राम पंचायत में जैर निगरानी पट्टे का रजिस्टर उपलब्ध है जिससे यह जाहिर है कि सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इसलिये प्रार्थी द्वारा बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत खैरवा द्वारा मिसल संख्या 18/1980–1981 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 22 दिनांक 03.11.1981 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र रह रहा कि प्रार्थी ने जैर निगरानी याचिका 42 वर्ष के विलम्ब के बाद पेश की, जो म्याद बाहर है। अधिवक्ता प्रार्थी ने उपरोक्त उज्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि जब ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से पट्टा जारी किया गया हो, तो वहां पर समयसीमा बाध्यकारी नहीं होती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court Chimna lal vs State of Rajasthan and others के अनुसार When no period of limitation is provided then in our opinion the same has to be exercised within a reasonable time and that will depend upon facts and circumstances of each case like ; (i) when there is fraud played by the parties; (ii) the orders are obtained by mis-representation or collusion with public officers by the private parties; (iii) Orders are against the public interest; (iv) the orders are passed by the authorities who have no jurisdiction; (v) the order are passed in clear violation of rules or the provisions of the Act by the authorities; and (vi) void orders or the orders are void ab initio being against the public policy or otherwise. The common law doctrine of public policy can be enforced wherever an action affects/offends the public interest or where harmful result of permitting the injury to the public at large is evident. In such type of cases, revisional powers can be exercised by the authority at any time either suo moto or as and when such orders are brouth to their notice. अर्थात् उपरोक्त न्यायिक नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार जब किसी अधिनियम में कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है, तो वह प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा तथा वर्णित 6 प्रकार की कार्रवाई को अवैध माना एवं इस प्रकार के मामलों में, प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षण शक्तियों को प्रयोग किया जा सकता है या जब भी ऐसे आदेश उनके ध्यान में लाए जाते है। इसी प्रकार 2018(2)DNJ (Raj.) 497 Usha Jugtawat vs State of Rajasthan Thro' Additional District Collector (Land Conversion) Jodhpur & Ors. में यह यह उल्लेख किया गया कि No limitation for exercising the reisional jurisdiction if pattas were issued in illegal manner and committing fraud. साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2015 (1) DNJ 443 Looni Devi & 10 Ors. vs State of Rajasthan & Ors. में यह सिद्धान्त प्रतिपादित

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

किया कि "Allotment obtained by playing fraud is void and no limitation for setting aside of such void allotment." राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में निगरानी से सम्बन्धित कोई विशेष समय सीमा या सीमित समय का उल्लेख नहीं है। साथ ही में विद्वान वकील के इस तर्क पर आते हुए कि 42 वर्ष के अस्पष्ट विलम्ब के बाद जारी किए गए जैर निगरानी पट्टे को चुनौती देने के लिए दायर याचिका को केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था, यह कहना पर्याप्त है कि किसी वैध अधिकार के बिना प्राप्त जैर निगरानी पट्टे को रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकरण के रास्ते में कोई सीमा नहीं आनी चाहिए। इसलिये प्रकरण में म्याद कण्डोन करते हुये निगरानी श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह रहा कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि में 1/3 हिस्से 20 बाई 50 में प्रार्थी का निर्माण व कब्जा है, जिसे किराया पर दिया हुआ है। विपक्षी अधिवक्ता ने उक्त कथन का विरोध करते हुये निवेदन किया कि मौके पर केवल अप्रार्थी का ही कब्जा है। इन तथ्यों की पुष्टि हेतु अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किराया चिट्ठी दिनांक 02.05.2006, 05.06.2007 एवं 20.11.2022 का अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त भूखण्ड के पडौस पूर्व दिशा में भुतनाथ मंदिर जाने का रास्ता व दरवाजा, पश्चिम दिशा में सुजाराम, गमनाजी का नोहरा, उत्तर दिशा में आम रास्ता खैरवा से मारवाड जंक्शन तथा दक्षिण दिशा में भुतनाथ मंदिर परिसर स्थित है। साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ्स के तुलनात्मक अध्ययन से भी यह जाहिर होता है कि जैर निगरानी भूमि के एक भाग का कब्जा एवं निर्माण प्रार्थी के कब्जे में है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा यह स्वीकृत तथ्य है कि जैर निगरानी आराजी पुश्तैनी है एवं इस सम्बन्ध में उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2024(2) WLC 168 (Raj.) Banshi lal vs State of Rajasthan & Ors के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, धारा 97, भारत का संविधान, 1950 अनु. 226, पट्टा प्रदान किया जाना–सम्पति पैतृक है तथा याची के साथ ही उसके अन्य जीवित भाईयों व बहिनों का हित (अधिकारी) इसमें है–याची इस भूमि पर पूर्ण रूपेण अपना ही अधिवास होने का दावा करता है, जिससे ग्राम पंचायत ने अकेले ही उसके नाम में, अन्य सह–स्वामियों के आक्षेपों के करने के बाद भी पट्टा जारी किया था–अभिनिर्धारित जब तक विभाजन नहीं हो जाता तथा अंशों का सीमांकन नहीं हो जाता अथवा अन्य सह–स्वामी सहमति नहीं दे देते, तब तक पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है–अतः आदेश द्वारा इसको नामंजूर किया जाना उचित है–किसी हस्तेक्षप की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह न्यायिक दृष्टान्त 2024(5) WLC 210(Raj.) Banshi lal vs State of Rajasthan & Ors के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, धारा 97, भारत का संविधान, 1950, अनु. 226–ग्राम पंचायत ने बी के पक्ष में पट्टा जारी किया था परन्तु निगरानी में इसे रद्द कर दिया गया–चुनौती–विवादित सम्पत्ति पैतृक है तथा स्वयं बी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है–अन्यथा भी यह एच, बी के पिता के नाम में थी जिसके 4 पुत्र व 1 पुत्री है–अतः एच की मृत्यु होने पर, यह पैतृक सम्पत्ति है–महज लम्बे समय से काबिज होने से पट्टा (स्वामित्व का दस्तावेज) बी को जारी नहीं किया जा सकता है–आक्षेपित आदेश

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

में हस्तक्षेप नहीं किया गया। उपरोक्त तथ्यों से यह सुस्पष्ट है कि मौके पर सम्पूर्ण भूमि पर चारदीवारी का निर्माण किया हुआ है, जिसके मध्य दिवार द्वारा दो अलग अलग भाग किये गये है, जिसमें एक भाग पर प्रार्थी का निर्माण सुदा कब्जा है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण भूमि का केवल एक व्यक्ति के पक्ष में पट्टा जारी करना विधिसम्मत नहीं है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया है तथा प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित मिसल, पट्टा बुक ग्राम पंचायत के रेकर्ड में उलपब्ध नहीं होना भी पट्टे की सत्यता पर प्रश्नचिहन् अंकित करता है। भूमि का पट्टा तभी वैध माना जाता है जब वह स्पष्ट रूप से भूमि की सीमाएं, स्वामित्व और उपयोग के अधिकारों को प्रमाणित करता हो। राजस्थान पंचायती राज एक्ट और सम्बन्धित नियमों के अनुसार, पट्टा जारी करते समय उसका पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होता है। रिकॉर्ड के बिना पट्टा जारी करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है क्योंकि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही खत्म हो जाती है। बिना रिकॉर्ड के जारी पट्टे की वैधता संदिग्ध होती है। इसका अर्थ है कि पट्टा फर्जी, गलत या भ्रष्टाचार से प्रभावित हो सकता है। ग्राम पंचायत के पास पट्टे का पूरा रिकॉर्ड होना अनिवार्य है। यदि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो यह पट्टा जारी करने में प्रक्रिया का उल्लंघन माना जाएगा। जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित दस्तावेज यथा मिसल एवं पट्टा बुक ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, जो पट्टे की वैधता पर गंभीर प्रश्न उठाता है। बिना उचित दस्तावेज के पट्टा अस्वीकार्य होता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त AIR 1997 SC 1125 L. Chandra Kumar vs Union of India में स्पष्ट किया कि पट्टे के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और उचित रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त Ram singh vs State of UP, 2015 के अनुसार पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड का होना अनिवार्य है, बिना रिकॉर्ड के पट्टा की वैधता नहीं मानी जाएगी। ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड का गायब होना जानबूझकर दस्तावेजों से छेडछाड की आशंका को जन्म देता है, इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने 1957 AIR 882 Union of India vs T.R. Varma में स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड की अनुपलब्धता स्वयं में जांच का आधार है, खासकर जब वह किसी विवादित निर्णय से सम्बन्धित हो। इसी तरह 2003 RLW 1119 Ramchandra vs State of Rajasthan में यह अंकित किया कि यदि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा बिना वैध रिकॉर्ड के या बिना अधिसूचना के जारी किया गया है, तो वह आदेश कानूनन टिक नहीं सकता। यहां पर माननीय न्यायायल के न्यायिक दृष्टान्त AIR 1958 SC 32 M.C. Chockalingam vs Union of India में प्रतिपादित सिद्धान्त को उद्धत करना समीचीन प्रतीत होता है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि भूमि पट्टों के मामलों में पारदर्शिता और नियमों का पालन आवश्यक है, अन्यथा पट्टा रद्द किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया कि यदि पट्टे के साथ सम्बन्धित कोई भी रिकॉर्ड उलब्ध नहीं है, तो पट्टे को संदिग्ध माना जाएगा और वह रद्द किया जा सकता है तथा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आदेशों में पारदर्शिता और रिकॉर्ड रखरखाव को जरूरी बताया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड यथा मिसल एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर ही नहीं है, जो प्रकरण को संदेहास्पद बनाता है। अतः उपरोक्त समस्त प्रेक्षेणों के आधार पर प्रकरण को पुनः जांच कर विधिवत सुनवाई हेतु पंचायत को प्रतिप्रेषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित प्रतीत होता है, जिससे प्रकरण में विधि अनुसार कार्यवाही की जा सके।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत खैरवा द्वारा मिसल संख्या 18/1980–1981 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 22 जारी दिनांक 03.11.1981 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति ग्राम पंचायत खैरवा को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 25/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली